

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्सर, जिला हरिद्वार

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: / 2022

कम्प्यूटर नं०—

सरकार बनाम जुल्फकार उर्फ बिल्लू आदि

मु०अ०सं०—454 / 2022

अं० धारा—380,457,411 भा०दं०सं०

थाना को० लक्सर, हरिद्वार।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता

श्री मनोज राणा।
श्री अमित कुमार।

दिनांक— 11.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त राशिद उर्फ मादू पुत्र मुस्तकीम उर्फ भूरा निवासी ग्राम खडण्जा कुतुबपुर थाना को० लक्सर, जिला हरिद्वार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता द्वारा मु०अ०सं०: 454 / 2022 अन्तर्गत धारा 380,457,411 भा०दं०सं० में थाना को० लक्सर जिला हरिद्वार के मामले में प्रस्तुत किया गया हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कथित अपराध नहीं किया गया है। अभियुक्त को झूठा व फर्जी फंसाया गया है। अभियुक्त से कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं है। अभियुक्त स्थायी निवासी है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अजमानतीय प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त की जमानत खारिज की जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर वादी के घर में रखी लोहे की पेटी का ताला तोड़कर 30,000/रु० व सोने की एक लॉग व चाँदी की एक जोड़ी पाजेब चोरी करने व चोरी किया गया माल पुलिस द्वारा अभियुक्त से बरामद होने के आरोप है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर, संज्ञेय व अजमानतीय प्रकृति के हैं। इस स्तर पर मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के आधार पर्याप्त नहीं हैं। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त राशिद उर्फ मादू का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 380,457,411 भा०दं०सं० खारिज किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाये।

(सीमा डुंगराकोटी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
लक्सर, जिला हरिद्वार

